केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/एसपीपीएस/ओएसएम **दिनांक: 16.03.2026**

प्रधानाचार्यगण
सीबीएसई से संबद्ध स्कूल
(वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित)

परिपत्र

विषय: मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए परामर्श – सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें।

बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया में कार्यरत कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियां, राय और अनुभव पोस्ट कर रहे हैं। इनमें से अनेक पोस्ट भ्रामक, तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, और उनसे हितधारकों के बीच भ्रम उत्पन्न करने और अफवाहें फैलाने की संभावना हैं।

सभी शिक्षकों को एततद्वारा स्मरण कराया जाता है कि:

- मूल्यांकन प्रक्रिया गोपनीय है और सख्त प्रोटोकॉल द्वारा शासित है।
- सार्वजनिक मंचों पर मूल्यांकन से संबंधित कोई भी भ्रामक जानकारी, अनुभव या राय साझा करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है।
- सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का कोई भी प्रयास व्यवसायिक आचरण का उल्लंघन है और अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।

शिक्षकों को संयम बरतने और परीक्षा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने की सलाह दी जाती है। बोर्ड सभी मूल्यांकनकर्ताओं से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गोपनीयता, गरिमा और व्यावसायिकता बनाए रखने की अपेक्षा करता है।
यह परिपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया में कार्यरत सभी शिक्षकों तक बिना विलंब के सूचित किया जाना चाहिए।

ह/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक